न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

<u>अपील संख्याः 84/2023 एल.आर.एक्ट</u> <u>GCMS No. 2023/104</u>

1. कृष्ण लाल उर्फ किशनलाल पुत्र श्री लालचन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड संख्या 13, पदमपुर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती दीक्षा सेतिया पत्नी श्री दीपक खुराना जाति अरोड़ा, निवासी वार्ड संख्या 13 पदमपुर हाल आबाद वार्ड संख्या 1, भवानी चौक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रवीण कुमार पुत्र शिवपाल सिंह तंवर जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. ब्रहम्म कॉलोनी नजदीक बस्ती चौक गंगानगर।
4. प्रदीप सिंह पुत्र जीवराज जाति राजपूत निवासी 25 एस टी जी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. कमल किशोर भाटी पुत्र बृजमोहन भाटी जाति माली निवासी अलगसागर रोड़ भाटी हाउस बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	अभिभाषक अपीलांट	श्री राजेन्द्र सिंह शिमला
	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1	श्री प्रहलाद जाखड़
	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5	श्री दिनेश गहलोत

निर्णय

दिनांक 16.09.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का इंतकाल संख्या 557 दिनांक 27.10.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —

1— वादग्रस्त भूमि चक 20 बी बी द्वितीय तहसील पदमपुर के मुरब्बा नंबर 82 हाल 36 में 23 बीघा 14 बिस्वा में 1/4 हिस्सा दीपक खुराना पुत्र श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल का था। दीपक खुराना ने उक्त वादगत भूमि की वसीयत दिनांक 04.01.2021 को अपीलांट के पक्ष में कर दी। दीपक खुराना का स्वर्गवास दिनांक 17.08.2021 को हो गया। अपीलांट ने तहसीलदार पदमपुर के समक्ष उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार प्रकरण दर्ज कर आम सूचना प्रकाशित की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के प्रार्थना–पत्र पर आक्षेप प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर ने उक्त प्रकरण में निर्णय करते हुए वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र खारिज कर विधिक वारिसान के नाम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। तत्पश्चात तहसीलदार पदमपुर ने नामांतरकरण संख्या 557 दिनांक 27.10.2022 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दीक्षा सेतिया के नाम दर्ज कर दिया। तहसीलदार पदमपुर के उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्री गंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्री गंगानगर ने प्रकरण में क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को होने और क्षेत्राधिकार न होने पर अपील अपीलांट को लौटा दी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्री गंगानगर द्वारा अपील लौटा दिए जाने पर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि चक 20 बी बी द्वितीय तहसील पदमपुर के मुरब्बा नंबर 82 हाल 36 में 23 बीघा 14 बिस्वा में 1/4 हिस्सा दीपक खुराना पुत्र श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल का था। दीपक खुराना ने उक्त वादगत भूमि की वसीयत दिनांक 04.01.2021 को अपीलांट के पक्ष में कर दी। दीपक खुराना का स्वर्गवास दिनांक 17.08.2021 को हो गया। दीपक खुराना ने अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत दो गवाह गौरव मिगलानी व दिनेश कुमार के समक्ष अपने हस्ताक्षर किए थे एवं उक्त दोनों गवाहों के हस्ताक्षर भी उक्त वसीयत पर अपनी उपस्थिति में किए थे। दीपक खुराना के निधन के पश्चात अपीलांट ने तहसीलदार पदमपुर कें समक्ष उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर पटवारी रिपोर्ट लेने हेतु एवं आम सूचना प्रकाशित कराने हेतु अपीलांट से कहा गया। आम सूचना अखबार में साया करवा दिया गया फिर अपीलांट को गवाह के शपथ–पत्र पेश करने को कहा गया जिस पर प्रार्थी ने वसीयत के दोनों गवाहों के शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिएं। अपीलांट जब तहसील कार्यालय गया तो उसे जानकारी हुई की अपीलांट के प्रार्थना–पत्र पर आदेश पारित कर दिया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय अपीलाट को कोई अवसर नहीं दिया। जैर अपील बाला–बाला पीठ–पीछे पारित किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत की प्रति स्वंय का शपथ–पत्र एवं वसीयत के दोनों गवाहों का शपथ–पत्र प्रस्तुत किए थे। जिससे अपीलांट वसीयत को साबित किया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर का नामांतकरण संख्या 557 दिनांक 27.10.2022 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के नाम से वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2022 के विरूद्ध अपील

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रस्तुत की गई हैं। तहसीलदार पदमपुर ने उक्त में प्रकरण विधिनुसार कार्यवाही की है। वादगत वसीयत की आम सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। हल्का पटवारी की रिर्पोर्ट भी ली गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय वसीयत के आधार पर वागदत भूमि का इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही पर आपत्ति प्रस्तुत की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति दीपक खुराना की मृत्यु दिनांक 17.08.2021 को आत्महत्या करने से हो गई थी। उसने कई फाईनन्सों से स्टाम्प देकर व चैक देकर रूपये ले रखे थे, इसी कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति ने आत्महत्या की, उससे पूर्व कई पंचायते भी हुई थी, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के ससुर कृष्णलाल उर्फ किशनलाल पुत्र लालचंद ने लोगों से दीपक खुराना के खाली स्टाम्प व चैक बुक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष वापिस प्राप्त कर लिए थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति दीपक खुराना ने कभी भी इस वसीयत के बारे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अवगत नही करवाया। उक्त वसीयत दिनांक 04.01.2021 कूटरचित एवं फर्जी तैयार की गई है। स्टाम्प विक्रेता मनोज कुमार नारंग तहसील पदमपुर द्वारा 30.12.2020 को दीपक खुराना पुत्र कृष्ण लाल विक्रय किया गया। स्टाम्प विक्रता के रजिस्टर के क्रम संख्या 4082 पर 500 रूपये का स्टाम्प दीपक खुराना पुत्र कृष्ण लाल को ईकरारनामा उदेश्य के लिए विक्रय किया गया बताया गया हैं। जिससे साबित होता हे कि वसीयत कूटरचित एवं फर्जी तरीके से तैयार की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दीक्षा सेतिया ने उक्त वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 जरिये विक्रय पत्र दिनांक 04.10.2023 को विक्रय कर दी। उक्त वसीयत दिनांक 04.01.2021 कूटरचित एवं फर्जी तैयार की गई है। स्टाम्प विक्रेता मनोज कुमार नारंग तहसील पदमपुर द्वारा 30.12.2020 को दीपक खुराना पुत्र कृष्ण लाल को विक्रय किया गया। स्टाम्प विक्रता के रजिस्टर के क्रम संख्या 4082 पर 500 रूपये का स्टाम्प दीपक खुराना पुत्र कृष्ण लाल को ईकरारनामा उदेश्य के लिए विक्रय किया गया बताया गया हैं। जिससे साबित होता हे कि वसीयत कूटरचित एवं फर्जी तरीके से तैयार की गई है।अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

5— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अपीलांट के वसीयत के आधार पर नामांतकरण दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार पदमपुर ने अपने आदेश दिनांक 21.10.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2022 द्वारा निरस्त कर विधिक वारिसान के नाम नामांतकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान किया, इसी क्रम में तहसीलदार पदमपुर ने नामांतकरण संख्या 557 दिनांक 27.10.2002 दर्ज कर दिया। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति दीपक खुराना(मृतक) को उक्त वादगत भूमि जरिये वसीयत अपने दादा से प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति दीपक खुराना(मृतक) को उक्त वादगत भूमि अपने दादा से प्राप्त हाने के कारण मृतक दीपक खुराना की पैतृक भूमि है और मृतक दीपक खुराना की स्वअर्जित भूमि नहीं है। उक्त वादगत भूमि स्वअर्जित भूमि नही होने के कारण वसीयत योग्य नही है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पदमपुर की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादगत भूमि के संबंध में अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत स्टाम्प क्रमांक 834305 पर की गई है। उक्त स्टाम्प के संबंध में स्टाम्प विक्रेता मनोज कुमार नारंग तहसील पदमपुर के रजिस्टर में दिनांक 30.12.2020 की क्रम संख्या 4082 पर 500 रूपये का स्टाम्प दीपक खुराना पुत्र कृष्णलाल जाति अरोड़ा निवासी पदमपुर को ईकरारनामा उद्वेश्य हेतु बेचान किया गया बताया है। स्टाम्प विक्रेता के बयान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर की पत्रावली में उपलब्ध है।

उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर का निर्णय दिनांक 21.10.2022 न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ)पदमपुर के निर्णय दिनांक 21.10.2022 के क्रम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ)पदमपुर का अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 557 दिनांक 27.10.2022 दर्ज किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(भू.अ) पदमपुर का अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 557 दिनांक 27.10.2022 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

6– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर